प्रेस नोट थाना अल्हागंज
जनपद शाहजहाँपुर
सराहनीय कार्य दिनाक -15.06.2025

थाना अल्हागंज पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य

"थाना अल्हागंज पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग मे वांछित अभियुक्तगणों को 36 घण्टे के अन्दर किया गिरफ्तार"

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर महोदय के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व क्रियाशील व चिन्हित किये गये अपराधियों की गिरफ्तारी एवं अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदया के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष अल्हागंज के नेतृत्व में बडी सफलता प्राप्त हुई।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 15.06.2025 को थाना अल्हागंज की पुलिस टीम को मुखबिर की सूचना पर थाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 181/25 धारा 103(1)/115(2)/352 बीएनएस थाना अल्हागंज जिला शाहजहाँपुर के हत्या के फरार अभियुक्तगण 1. जयवीर सिंह पुत्र जदुनाथ 2. बिजेन्द्र सिंह पुत्र छुटकुन्नू सिंह निवासी गण ग्राम धर्मपुर पिडरिया मजरा सपहा थाना अल्हागंज जनपद शाहजहाँपुर के सम्बन्ध में सूचना पर थानाध्यक्ष अल्हागंज श्री ओमप्रकाश मय टीम के मौके पर पहुँचकर अभियुक्तगण 1. जयवीर सिंह उर्फ बरेली बाबू पुत्र जदुनाथ उम्र करीब 50 वर्ष 2. बिजेन्द्र सिंह उर्फ नन्हे लल्ला पुत्र छुटकुन्नू सिंह उम्र करीब 36 वर्ष निवासी गण ग्राम सपहा मौजा धर्मपुर पिडरिया थाना अल्हागंज जनपद शाहजहाँपुर को ग्राम ठिंगरी से कुवरपुर बांक जाने वाले मार्ग गौशाला से करीब 200 मीटर आगे बबूल की झाडियो से समय करीब 11.00 बजे किया गिरफ्तार। अभियुक्तगणो को गिरफ्तारी करते हुये आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल मे लाते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तारी का दिनाक एंव स्थान/समय

दिनांक 15.06.25 , समय लगभग 11.00 बजे , थाना क्षेत्र के ग्राम ठिंगरी से कुवरपुर बांक जाने वाले मार्ग पर गौशाला के पास

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण का नाम –

1. जयवीर सिंह उर्फ बरेली बाबू पुत्र जदुनाथ उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम सपहा मौजा धर्मपुर पिडरिया थाना अल्हागंज जनपद शाहजहाँपुर
2. बिजेन्द्र सिंह उर्फ नन्हे लल्ला पुत्र छुटकुन्नू सिंह उम्र करीब 36 वर्ष निवासी ग्राम सपहा मौजा धर्मपुर पिडरिया थाना अल्हागंज जनपद शाहजहाँपुर

पंजीकृत अभियोग / अपराधिक इतिहास (अभियुक्त जयवीर सिंह उर्फ बरेली बाबू)

1. मु0अ0सं0 412/18 धारा 324/504 भादवि थाना अल्हागंज जिला शाहजहांपुर
2. मु0अ0सं0 181/25 धारा 103(1)/115(2)/352 बीएनएस थाना अल्हागंज जिला शाहजहांपुर

पंजीकृत अभियोग / अपराधिक इतिहास (अभियुक्त बिजेन्द्र सिंह उर्फ नन्हे लल्ला)

1.मु0अ0सं0 49/2007 धारा 302/201 भादवि थाना अल्हागंज जिला शाहजहांपुर
2. मु0अ0सं0 181/25 धारा 103(1)/115(2)/352 बीएनएस थाना अल्हागंज जिला शाहजहांपुर

बरामदगी का विवरण –

1.पूर्व में ही घटना स्थल से एक अदद रक्त रंजित चाकू बरामद।
2.पूर्व में ही घटना स्थल से अभियुक्त जयवीर उर्फ बरेली बाबू की सफेद चप्पल बरामद।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्तगण से बारी बारी से पूछताछ कि गयी तो अभियुक्त जयवीर उर्फ बरेली बाबू ने बताया कि दिनांक 13.06.2025 को मे व मेरे साथी बिजेन्द्र सिंह उर्फ नन्हे लल्ला उपरोक्त अपने दरवाजे पर समय करीब रात के 9.30 बजे बैठे हुए थे हम लोगो ने हल्का नशा भी कर रखा था तभी मेरे गांव के कल्याण सिंह उर्फ कल्लू गाली गलौज करते हुए निकले तो मैने मना किया नही माने तो और हम दोनो के उपर लाठी चलाने लगे थे तो हम दोनो ने उनको अपने दरवाजे पर खींचकर लाये थे तथा बिजेन्द्र ने उनको पीछे से पकड लिया तथा मैने उनके सीने में चाकू मार दिया था जिसमें चाकू लगने से कल्याण उर्फ कल्लू की मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी और मैने डर की वजह से हडबडी में चाकू को नाले में फेंककर हम दोनो भाग गये थे आज हम दोनो कही जाने की फिराक में थे आज आप लोगो ने पकड लिया है साहब गलती हो गयी है। तथा बिजेन्द्र सिंह उर्फ नन्हे लल्ला उपरोक्त ने पूछताछ से बताया कि जब कल्याण सिंह ने जयवीर के उपर लाठी चलायी थी तब मैने कल्याण सिंह को पीछे पकड लिया था तब जयवीर ने उनके सीने में चाकू मार दिया था जिससे कल्याण सिंह की मौके पर मृत्यु हो गयी थी।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. थानाध्यक्ष ओमप्रकाश
2. उ0नि0 नगेन्द्र सिंह
3. हे0का0 545 अविनाश
4. हे0का0 458 राशिद खां
5. हे0का0 38 श्रीकृष्ण
6. का0 888 तौफीक
7. का0 775 सुनील कुमार